-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 15.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप अलग-अलग 04 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को 24 हजार रुपए के जुर्माने व कारावास से कराया गया दण्डित।**

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 04 मामलों में कुल 05 अभियुक्तों को कुल 24 हजार रुपए के जुर्माने व कारावास से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-174/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त रामदास पुत्र फगुनिया निवासी कनवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 7000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-348/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त विजय नरेश पुत्र रग्घू निवासी तिन्दवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा को 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
3. थाना चिल्ला पर पंजीकृत मु0अ0सं0-191/15 धारा 279/338 भादावि के अभियुक्त विवेक पुत्र विक्रम निवासी महोखर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को 2000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया।
4. थाना बदौसा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-69/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त 1. कमलेश पुत्र गामा 2. चुनवाद पुत्र रामदयाल निवासीगण ग्राम शाहपुर सानी थाना बदौसा जनपद बांदा को कुल 10,000 रुपये के जुर्माने व 03-03 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित कराया गया।